



2026:AHC:17196

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45951 सन् 2025

कमलेश कुमार

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: हाकिम कुमार कुशवाहा, पीयूष

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: अभिषेक अंकुर चौरसिया, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्षकार को नोटिस देने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लम्बित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्षकार इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील बारा, जिला प्रयागराज को उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत वाद संख्या 1265 / 2022 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202402030701265), (कमलेश कुमार बनाम रवि सिंह एवं अन्य) को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया जाता है कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध रीति से निर्णीत किया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-
“(3). इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यवाही यथासम्भव उप-खण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन की तारीख से तीन माह के भीतर समाप्त की जाएगी।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. यह भी तर्क दिया जाता है कि यद्यपि उक्त अवधि व्यतीत हो चुकी है, तथापि आज तक विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील बारा, जिला प्रयागराज उक्त वाद को उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

स्वाति